E-mail : tdrkct@gmail.com ph. – 01586 -

कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी –नागौर

क्रमांक : विविध / 2019 / 80 दिनांक : 27/11/19

प्रेषित :

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी।

विषय : प्रारंभिक डिक्री की पालना के क्रम में।

प्रसंग :– श्रीमान् का प्रकरण सं. 219 / 18 कुनणाराम बनाम मोहन में प्रारंभिक डिक्री की पालना

महोदय,

उक्त विषयक प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री की पालना की जाकर प्रारंभिक डिक्री विधिवत पत्र के संलग्न सेवामें प्रस्तुत है।

संलग्न – उक्तानुसार

22/11/19

(दयानंद रूयल)
तहसीलदार
कुचामन सिटी, नागौर

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

2/12/19

5/12/19

मौका रिपोर्ट

श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के राजस्व वाद 219/2018 गत मुकदमा नम्बर 56/2016 कुनणाराम बनाम मोहन वगैराह में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की पालना में ~~इसके~~ श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2019/555 दिनांक 15/10/2019 की पालना में हमराह हल्का पटवारी रनपपुरा श्री हरलाल कुडी के खसरा मोतमिरान के ग्राम आसनपुरा के ख.न. 917, 916 का मौका निरीक्षण आज दिनांक 21-11-2019 को किया गया जो निम्न प्रकार से है!-

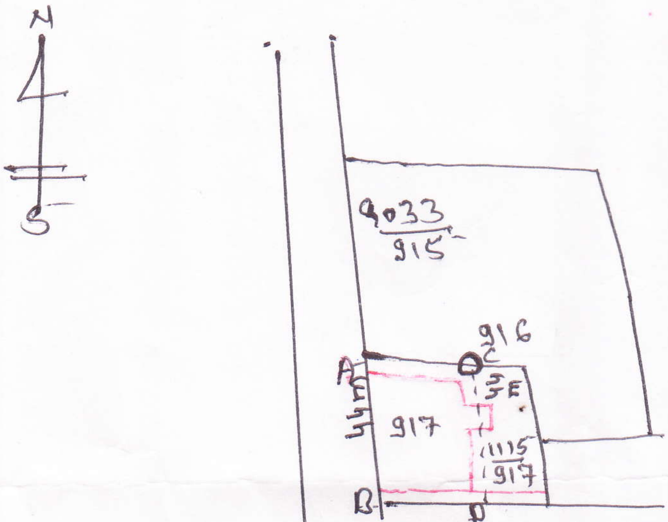

1. ग्राम आसनपुरा के ख.न. 916 रकबा 0.01 किस्म गै.मु. कुआ की खातेदारी कुनणा पुत्र नाथूराम 1/2 राजकुमार पुत्र मोहन 1/10 शारदा पुत्री मोहन 1/10 नोपा पत्नि मोहन 1/10 बनवारी पुत्र मोहन 1/10 सीता पुत्री मोहन 1/10 जाति कुमावत के नाम से दर्ज है)
2. ख.न. 917 रकबा 0.1533 किस्म गै.मु. आबादी की खातेदारी राजकुमार, बनवारी पि. मोहन, सीता, शारदा पुत्री मोहन, नोपा पत्नि मोहन जाति कुमावत के नाम दर्ज है।
3. ख.न. ~~1115~~ 1115/917 रकबा 0.0767 किस्म गै.मु. आबादी की खातेदारी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार दर्ज है।
4. नक्शा ट्रेस प्रमाणितप्रति तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्टर नागौर दिनांक 13-2-19 की प्रति में ख.न. 917 की A to B बिन्दु नक्शे लट्ठे में 55 मीटर है 916 कुआ है कुएं के मध्य से C बिन्दु से D बिन्दु नक्शे लट्ठे (ट्रेस) में 55 मीटर है।
5. वर्तमान ख.न. 917 की मौका अनुसार 30 x 35.5 मीटर कुल 1065 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित राजकुमार बनवारी पि.

6. बिन्दु सं. B to D रास्ता बना हुआ है जो बिन्दु सं. B पर 5 मीटर चौड़ाई का है जहां पर द्दड़े डालकर रास्ता को मौके पर आवागमन बन्द कर रखा है। बिन्दु सं. B to D के तरफ मकानों के जंगले, छज्जे एवं कुलर लगे हुए है।

7. बिन्दु सं. A से C तक कुऐ तक 5.75 मीटर चौड़ाई का रास्ता पारिश्रा शेपकर तारबन्दी कर रखी है जो मौके पर आवागमन हो रहा है। बिन्दु सं. A पर फाटक लगाया रखा है जो ख.नं. $\frac{1115}{917}$ का हि हिस्सा है।

अतः रिपोर्ट तैयार कर रूबरू मौके मिसल को पढ़कर सुनायी गयी एवं हस्ताक्षर करवाये गये।

भू.अ.नि. (R) पंचायत
22-11-19

भैरा Banwari Sharda Rajkumar

22-11-2019
पटवारी - रूपपुरा - हीरजा

ओमप्रकाश भाटी ओमप्रकाश कुमावत

22/11/19
तहसीलदार
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 219/2018 RCMS 2016/00348 (गत मुकदमा नं.46/2016 RCMS 2016/00075)

वादी

1. कुनणा पुत्र नाथुराम जाति कुम्हार उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहन पुत्र नाथुराम कौम कुम्हार निवासी आसनपुरा मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण :–
   1/2 नोपा पत्नी स्वर्गीय मोहन
   1/2 राजकुमार पुत्र स्वर्गीय मोहन जाति कुम्हार
   1/3 बनवारी पुत्र स्वर्गीय मोहन जाति कुम्हार
   1/4 शारदा पुत्री स्वर्गीय मोहन उम्र 24 वर्ष जाति कुम्हार निवासीगण नर्सरी के पास डीडवाना रोड़ आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी
   1/5 सीता पुत्री स्वर्गीय मोहन पत्नी औमप्रकाश कुमावत भोपो का बास कुचामनसिटी
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
3. पटवारी हल्का पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

दावा :–वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955 वाके ग्राम आसनपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या पुरानी 8 नया 8 के नवीन खसरा नम्बर 917 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकीन ढ़ाणी, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन मे सह खातेदार वादी कुनणाराम प्रतिवादी मोहन के खातेदारी अधिकरो की भूमि के खाता का भू–विभाजन कर वादी के हक हिस्से के खसरा नम्बर 917 मे से 1/3 हिस्से को अन्य प्रतिवादीगण 1/1 से लगायत 1/5 से अलग किया प्रतिवादीगण को पाबंद फरमावे की वादी के खातेदारी अधिकारो व कब्जा के खसरा नम्बर 916 गैर मुमकिन ढ़ाणी एवं खसरा नम्बर 916 गैर मुमकिन कुआ में निहित 1/2 हिस्से की नाल के उपयोग व उपभोग एवं ढ़ाणी व कुए पर डीडवाना रोड से होकर आवागमन करने में न तो प्रतिवादीगण स्वयं मदाखलत मजाहमत करे व न किसी अन्य से करावे, वर बिनाय।

उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ वादी की ओर से।
श्री हरदेवसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1/1 से 1/5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 12-12-2019

प्रकरण का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 05.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई मौका रिपोर्ट दिनॉक 05.06.2017 को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पटवारी हल्का उगरपुरा तथा निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी द्वारा तैयार कर तहसीलदार कुचामनसिटी के प्रति हस्ताक्षर होकर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिनॉक अपने पत्रांक/भू.अ./1078 दिनॉक 30.06.2017 को मौका रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित की गई तथा दिनॉक 30.06.2017 द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से पीड़ित पक्षकारान प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ की गई जहा पर प्रकरण सं. 226/2017 दर्ज होकर दिनॉक 03.01.2018 को अपीलार्थी राजकुमार बनाम कुनणा वगैरह मे सुनवाई की गई जहा पर दिनॉक 03.01.2018 को अपील खारिज की गई, उक्त निर्णय एवं इस न्यायालय की अपील/निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में की गई, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के यहॉ प्रकरण सं. 429/2018 राजकुमार बनाम कुनणा वगैरह दर्ज होकर सुनवाई हुई तथा दिनॉक 07.09.2018 का माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आदेश पारित कर इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.06.2017 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण में कुरेजान रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार को तैयार करने हेतु निर्देश देकर उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सूचित किया गया। पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। तहसीलदार कुचामनसिटी को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान की आदेशिका एवं आवश्यक दिशा निर्देश के साथ कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय से तहरीर जारी की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने मौका रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम (कुरेजात रिपोर्ट) दिनॉक 22.11.2019 तैयार कर अपने कार्यालय के पत्रांक/विविध/2019/80 दिनॉक 27.11.2019 द्वारा इस न्यायालय में दिनॉक 05.12.2019 को प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। कुरेजात रिपोर्ट दिनॉक 22.11.2019 में ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 916, 917 में बिन्दूवार रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा नक्शा बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है :–

1. ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 किस्म गै.मु.कुआ की खातेदारी कुनणा पुत्र नाथूराम 1/2 राजकुमार पुत्र मोहन 1/10 शारदा पुत्री मोहन 1/10 नोपा पत्नी मोहन 1/10 बनवारी पुत्र मोहन 1/10 सीता पुत्री मोहन 1/10 जाति कुमावत के नाम से दर्ज है।

2. खसरा नम्बर 917 रकबा 0.1533 किस्म गै.मु.ढ़ाणी की खातेदारी राजकुमार बनवारी पि. मोहन, सीता शारदा पुत्री मोहन नोपा पत्नी मोहन जाति कुमावत के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3. खसरा नम्बर 1115/917 रकबा 0.0767 किस्म गै.मु. ढ़ाणी की खातेदारी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार दर्ज है।

4. नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर दिनॉक 13.02.2019 की प्रति मे खसरा नम्बर 917 की A to B बिन्दू नक्शे लठ्ठे में 44 मीटर है, 916 कुआ है कुएं के मध्य से C to D बिन्दू नक्शे लठ्ठे (ट्रेस) में 44 मीटर है।

5. वर्तमान खसरा नम्बर 917 की मौका अनुसार 30 X 35.5 मीटर कुल 1065 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण राजकुमार बनवारी पि. मोहन सीता शारदा पुत्री मोहन नोपा पत्नी मोहन जाति कुमावत का है।

6. बिन्दू सं. B to D रास्ता बना हुआ है जो बिन्दू सं. B पर 5 मीटर चौड़ाई का है जहॉ पर छड़े डालकर रास्ते को मौके पर आवागमन बन्द कर रखा है, बिन्दू सं. B to D के तरफ मकानों के जंगले, छज्जे एवं कुलर लगे हुए है।

7. बिन्दू सं. A to C तक कुए तक 4.75 मीटर चौड़ाई का रास्ता पट्टियॉ रोपकर तारबन्दी कर रखी है जो मौके पर आवागमन हो रहा है बिन्दू सं. A पर फाटक लगाकर रखा है जो खसरा नम्बर 1115/917 का ही हिस्सा है।

उक्त प्रकरण में ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 917 रकबा 0.23 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी राजस्व रेकार्ड में कुनणा पुत्र नाथूराम 1/3 मोहन पुत्र नाथूराम 2/3 कौम कुम्हार सा. देह दर्ज चला आया था, तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.06.2017 की अनुपालना में जरिये नामान्तरकरण सं. 341 दिनॉक 10.07.2017 के द्वारा डिक्री आदेश से इस खाते का इन्द्राज इस प्रकार रहा (1) कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 1115/917 रकबा 0.076667 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी (2) नोपा पत्नी मोहन राजकुमार बनवारी पि. मोहन शारदा सीता पुत्रिया मोहन जाति कुम्हार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 917 रकबा 0.153333 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी अंकन हुआ। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वार इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.062017 को अपास्त कर प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार कुचामनसिटी को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा विधिनुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा आपत्ति दर्ज की जाकर कथन किया है किया है कि उक्त कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है, जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कुरेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया है, कुरेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया, वादी वकील की आपत्ति/कथन सारहीन होने से खारिज की जाती है, चूँकि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा कुरेजात रिपोर्ट स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ही तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कुरेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रथम दृष्टया प्रकरण में आदेश अपास्त होने से पूर्ववत की स्थिति अनुसार पक्षकारान को खातेदार मानते हुए तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा वर्तमान कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री कर निम्न प्रकार प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

आदेश

वाद डिक्री कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ में वादी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार को 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है तथा खसरा नम्बर 917 रकबा 0.23 हैक्टर में 1/3 हिस्से का वादी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार को तथा 2/3 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है तथा वर्तमान कुरेजात रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम डिक्री का भाग रहेगा। पूर्व में जारी आदेश दिनॉक 30.06.2017 की अनुपालना में राजस्व रेकार्ड में दर्ज अमल दरामद तथा नक्शे मे तरमीत के इन्द्राज को पूर्णतया हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, जिसकी पालना तहसीलदार कुचामनसिटी सुनिश्चित करे एवं वर्तमान कुरेजात रिर्पोट अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायायल में प्रस्तुत करे। वादी को अपने हिस्से की भूमि तक आने जाने हेतु मुख्य मार्ग मेगा हाईवे से खसरा नम्बर 917 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई का रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करने के कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनॉक 12/12/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम : कुचामन सिटी**

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या **219/2018 RCMS 2016/00348 (गत मुकदमा नं.46/2016 RCMS 2016/00075)**

वादी

1. कुनणा पुत्र नाथुराम जाति कुम्हार उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहन पुत्र नाथुराम कौम कुम्हार निवासी आसनपुरा मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण :–
   1/2 नोपा पत्नी स्वर्गीय मोहन
   1/2 राजकुमार पुत्र स्वर्गीय मोहन जाति कुम्हार
   1/3 बनवारी पुत्र स्वर्गीय मोहन जाति कुम्हार
   1/4 शारदा पुत्री स्वर्गीय मोहन उम्र 24 वर्ष जाति कुम्हार निवासीगण नर्सरी के पास डीडवाना रोड़ आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी
   1/5 सीता पुत्री स्वर्गीय मोहन पत्नी औमप्रकाश कुमावत भोपो का बास कुचामनसिटी
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
3. पटवारी हल्का पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

दावा :–वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री हरदेवसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद डिक्री कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ में वादी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार को 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है तथा खसरा नम्बर 917 रकबा 0.23 हैक्टर में 1/3 हिस्से का वादी कुनणा पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार को तथा 2/3 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है तथा वर्तमान कुरेजात रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम डिक्री का भाग रहेगाा। पूर्व में जारी आदेश दिनॉक 30.06.2017 की अनुपालना में राजस्व रेकार्ड में दर्ज अमल दरामद तथा नक्शे मे तरमीत के इन्द्राज को पूर्णतया हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, जिसकी पालना तहसीलदार कुचामनसिटी सुनिश्चित करे एवं वर्तमान कुरेजात रिर्पोट अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। वादी को अपने हिस्से की भूमि तक आने जाने हेतु मुख्य मार्ग मेगा हाईवे से खसरा नम्बर 917 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई का रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करने के कार्यवाही करे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2019.12.13 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: